



सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय

नव सीमा शुल्क भवन, पणंबूर, मंगलूर-५७५०१०

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS

NEW CUSTOMS HOUSE, PANAMBUR, MANGALURU – 575 010

Telephone No.: 0824-2408164, Website: bangalorecustoms.gov.in, Email: commr-cusmnglr@nic.in

Computer No.: 1669475

Dated: As e-signed

सार्वजनिक सूचना सं. 09/2026
PUBLIC NOTICE NO. 09/2026

विषय: सामान नियम, 2026 के समान रूप से क्रियान्वयन के लिए दिशानिर्देश
Subject: Guidelines for uniform implementation of Baggage Rules, 2026 – Reg.

सभी यात्रियों, व्यापार से जुड़े व्यक्तियों तथा अन्य हितधारकों का ध्यान केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) द्वारा जारी परिपत्र संख्या 04/2026-कस्टम्स दिनांक 01.02.2026 की ओर आकर्षित किया जाता है। सामान नियम, 2026 तथा कस्टम्स बैगेज (घोषणा और प्रसंस्करण) विनियम, 2026 को अधिसूचना संख्या 14/2026-कस्टम्स (N.T.) और 15/2026-कस्टम्स (N.T.) दोनों दिनांक 01.02.2026 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। ये नियम पूर्व में लागू **सामान नियम, 2016** के स्थान पर लागू किए गए हैं।

Attention of all passengers, trade, and stakeholders is invited to Circular No. 04/2026-Customs dated 01.02.2026 issued by the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC). The Baggage Rules, 2026 and the Customs Baggage (Declaration and Processing) Regulations, 2026 have been notified vide notifications No.14/2026- Customs (N.T.) and 15/2026-Customs (N.T.) both dated 01.02.2026 respectively, in supersession of the earlier Baggage Rules, 2016.

2. सभी संबंधित व्यक्तियों की जानकारी के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं:

The following guidelines are hereby issued for the information of all concerned:

(i) सामान की घोषणा / Declaration of Baggage

जिन यात्रियों के पास ऐसा कोई सामान नहीं है जिस पर शुल्क (ड्यूटी) देय हो या जिन्हें मुद्रा या पालतू जानवर के संबंध में कोई घोषणा नहीं करनी है, वे सीधे ग्रीन चैनल से बाहर जा सकते हैं। भारत आने वाले सभी यात्रियों को, यदि वे शुल्क योग्य (dutiabale) या प्रतिबंधित वस्तुएँ साथ ला रहे हैं, तो उन्हें अपने साथ लाए गए सामान की इलेक्ट्रॉनिक घोषणा करनी होगी, जो कस्टम्स बैगेज (घोषणा और प्रसंस्करण) विनियम, 2026 के अंतर्गत निर्धारित कस्टम्स डिक्लैरेशन फॉर्म में की जाएगी। यह घोषणा ग्रीन चैनल में प्रवेश करने से पहले करनी होगी। घोषणा आगमन के समय या आगमन से तीन दिन पहले तक निर्धारित स्वचालित प्रणाली के माध्यम से की जा सकती है। इस संबंध में सिस्टम महानिदेशालय ने "अतिथि" (Atithi) नामक वेब एप्लिकेशन / मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया है। जहाँ इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग संभव नहीं हो, वहाँ

सक्षम अधिकारी विनियमों में निर्दिष्ट वैकल्पिक माध्यमों से घोषणा करने की अनुमति दे सकते हैं। सामान की घोषणा न करना या गलत घोषणा करना, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत कार्रवाई को आकर्षित करेगा। असंगत (Unaccompanied) सामान जिसमें शुल्क योग्य व्यक्तिगत वस्तुएँ हों, उसकी घोषणा भी निर्धारित फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक रूप से की जाएगी और विनियमों के अनुसार उसका निपटान किया जाएगा।

Passengers who are not required to declare anything on which payment of duty is involved or not required to make declaration regarding currency or pet can straight away use Green Channel for exit. All passengers arriving in India who are carrying dutiable or prohibited goods are required to declare their accompanied baggage electronically in the Customs Declaration Form prescribed under the Customs Baggage (Declaration and Processing) Regulations, 2026, prior to entering the Green Channel. Declarations may be filed on arrival or up to three days in advance of arrival through the designated automated system. In this connection, DG System has developed the web application or mobile application namely, Atithi. Where electronic filing is not feasible, the proper officer may permit declaration through alternative modes as provided in the Regulations. Non-declaration or mis-declaration of baggage shall attract action under the Customs Act, 1962. Unaccompanied baggage containing dutiable personal effects shall be declared electronically in the prescribed form and processed in accordance with the Regulations.

(ii) व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुएँ और शुल्क-मुक्त भत्ता / Personal Effects and Duty-Free Allowances

व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुओं में वे सभी वस्तुएँ शामिल हैं—नई या पुरानी—जिनकी किसी यात्री को यात्रा के दौरान व्यक्तिगत उपयोग के लिए उचित रूप से आवश्यकता हो सकती है, यात्रा की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए। इसमें व्यावसायिक उद्देश्य से आयात या निर्यात की जाने वाली वस्तुएँ शामिल नहीं हैं। व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुओं की नई परिभाषा Revised Kyoto Convention के अनुरूप जोड़ी गई है। केवल उपयोग की हुई व्यक्तिगत वस्तुएँ, जो दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक हों, उन्हें बिना किसी सीमा के शुल्क-मुक्त अनुमति दी जाएगी। अधिकारियों को प्रत्येक वस्तु की नवीनता की जाँच करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि वह वस्तु स्पष्ट रूप से नई प्रतीत न हो या उसकी मूल पैकेजिंग से यह सिद्ध न होता हो। यात्रियों को बैगेज नियम, 2026 में निर्धारित मूल्य सीमा के भीतर वस्तुओं को शुल्क-मुक्त क्लियरेंस का अधिकार होगा, बशर्ते वे प्रतिबंधित या निषिद्ध वस्तुओं में शामिल न हों। यह सुविधा जहाँ लागू हो, वहाँ विदेश में कार्यरत पेशेवरों तथा नियमों में निर्दिष्ट अन्य पात्र श्रेणियों को भी उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त, शिशुओं को छोड़कर, यात्रियों को नियमों के अनुसार विदेश या भारत में उनके प्रवास की अवधि और श्रेणी के आधार पर मौद्रिक शुल्क-मुक्त भत्ता तथा ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस लाभ भी प्राप्त होंगे, जैसा कि इस परिपत्र के परिशिष्ट-B में निर्दिष्ट है।

Personal effects include all articles, whether new or used, which a passenger may reasonably require for personal use during the journey, taking into account the circumstances of travel, but excluding goods imported or exported for commercial purposes. The new definition of personal effects has been added in line with Revised Kyoto Convention. Only used personal effects required for satisfying daily necessities of life are allowed duty free without limit. Officers are not required to verify the newness of every article unless the articles are prima facie new and which may establish original packaging. Passengers are entitled to duty-free clearance of articles within the value limits prescribed under the Baggage Rules, 2026, subject to exclusions for prohibited or restricted articles. These entitlements are also available, where applicable, to foreign professionals and other eligible categories specified in the Rules. Further, passengers excluding infants are eligible for monetary duty-

free allowances and transfer of residence benefits subject to the class and duration of stay abroad or in India, as specified in the Annexure-B to the Circular.

(iii) अस्थायी निर्यात प्रमाणपत्र और अस्थायी सामान आयात प्रमाणपत्र / Temporary Export and Temporary Baggage Import Certificate

यात्रियों की सुविधा के लिए, वे भारत से प्रस्थान से पहले "अतिथि" (Atithi) वेब या मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से अपने कीमती सामान का विवरण देकर निर्यात प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं, ताकि पुनः आयात के समय उस पर भरोसा किया जा सके। ऐसे यात्रियों को हवाई अड्डे पर पर्याप्त समय पहले पहुँचना चाहिए ताकि सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा वस्तुओं का सत्यापन कर निर्यात प्रमाणपत्र जारी किया जा सके। अस्थायी निर्यात प्रमाणपत्र यात्री के भारत में प्रथम आगमन तक या छह माह की अवधि तक, जो भी पहले हो, मान्य रहेगा। भारत में अपने प्रवास के दौरान उपयोग के लिए मूल्यवान वस्तुएँ लाने वाले पर्यटकों को, घोषणा के अधीन, अस्थायी शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि वे भारत से प्रथम प्रस्थान या छह माह के भीतर (जो पहले हो) पुनः निर्यात कर दी जाएँ। सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा अस्थायी आयात प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है और प्रस्थान के समय उसका सत्यापन किया जाएगा। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि यदि उनके साथ लाई गई वस्तुएँ दैनिक आवश्यकताओं के व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं हैं, तो वे अस्थायी आयात प्रमाणपत्र या निर्यात प्रमाणपत्र अवश्य प्राप्त करें।

To facilitate hassle-free entry, passengers may apply for an export certificate prior to their departure, recording declaration on web application or mobile application namely, Atithi by providing particulars of such valuables, which may be relied upon at the time of re-import. Such passengers may arrive at the airport well in advance for verification of the articles by the Customs Officer and generation of the export certificate. The temporary export certificate will be valid upto first arrival of passenger in India or a period of six months, whichever is earlier. Tourists carrying valuables for use during their stay in India may be allowed temporary duty-free import, subject to declaration and re-export till the time of first departure of the tourists from India or within six months, whichever is earlier. Appropriate temporary import certificates may be issued by the Customs officer and the same to be verified by Customs at the time of departure of the passenger. Passengers are advised to take temporary baggage import certificate or export certificate if such articles carried by them are not for personal use required for satisfying daily necessities of life.

(iv) आभूषण और कीमती वस्तुएँ / Jewellery and Valuables

बैगेज नियम, 2026 में आभूषण के लिए अलग व्यवस्था की गई है, जिसमें इसकी परिभाषा दी गई है तथा विदेश में एक वर्ष से अधिक समय से रहने वाले पात्र भारतीय निवासियों और भारतीय मूल के पर्यटकों के लिए विशेष शुल्क-मुक्त भत्ता निर्धारित किया गया है। यात्रियों द्वारा लाए गए आभूषण और अन्य कीमती वस्तुओं का निपटान निम्न प्रकार से किया जाएगा:

(a) उपयोग किए हुए व्यक्तिगत आभूषण: दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के लिए आवश्यक उपयोग किए हुए व्यक्तिगत आभूषण और कीमती वस्तुएँ, यदि व्यक्ति द्वारा पहनी गई हों या वास्तविक सामान में हों, तो जोखिम-आधारित सत्यापन के अधीन शुल्क-मुक्त अनुमति दी जाएगी।

(b) उपयोग की गई व्यक्तिगत वस्तु का हिस्सा न होने वाले आभूषण:

- i. ऐसे आभूषण जो दैनिक आवश्यकताओं के लिए आवश्यक नहीं हैं, उन्हें शुल्क-मुक्त अनुमति नहीं दी जाएगी; परंतु लागू शुल्क के भुगतान पर अनुमति दी जा सकती है।

- ii. यदि ऐसे आभूषण पहले भारत से निर्यात किए गए थे और उनके लिए निर्यात प्रमाणपत्र उपलब्ध है, तो पुनः आयात के समय शुल्क-मुक्त अनुमति दी जा सकती है।
- iii. भारत में प्रवास के दौरान उपयोग के लिए पर्यटकों द्वारा लाए गए आभूषणों को घोषणा, अस्थायी आयात प्रमाणपत्र और पुनः निर्यात की शर्त पर अनुमति दी जा सकती है।
- iv. गैर-वास्तविक (Non-bona fide) आभूषण या घोषित न किए गए आभूषणों पर बैगेज नियम, 2026 के अनुसार शुल्क लगाया जाएगा और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

(c) आभूषण के लिए विशेष भत्ता: विदेश में एक वर्ष से अधिक समय से रहने वाले पात्र भारतीय निवासी और भारतीय मूल के पर्यटक निर्धारित सीमा तक आभूषण शुल्क-मुक्त ला सकते हैं। सीमा से अधिक आभूषणों पर लागू सीमा शुल्क लगाया जाएगा।

The Baggage Rules, 2026 provide a distinct treatment for jewellery by defining the term and prescribing a special duty-free allowance for eligible residents and tourists of Indian origin residing abroad for more than one year. The valuables including jewellery carried by passengers shall be dealt in the following manner:

(a) Used Personal jewellery and valuables as used personal effects: Used personal effects, including personal jewellery and valuables required for daily necessities of life, carried on the person or in bona fide baggage, shall be allowed duty free clearance under the Baggage Rules, 2026, subject to risk-based verification.

(b) Jewellery and valuables not forming part of used personal effect:

(i) Jewellery and valuable, other than those required for daily necessities of life, brought by a passenger in bona fide baggage, shall not be allowed duty free, however, the same may be allowed on payment of applicable duty.

(ii) Jewellery and valuable, other than those required for daily necessities of life, brought by a resident, tourist of Indian origin, or a foreigner with a valid visa, other than tourist visa, in bona fide baggage may be allowed duty free clearance at the time of its re-import, on the basis of an export certificate where such articles had been taken out earlier from India.

(iii) Jewellery and valuable, other than those required for daily necessities of life, brought by tourists in bona fide baggage for use during their stay in India, may be allowed subject to declaration at the time of arrival, issuance of temporary baggage import certificate and mandatory re-export at the time of departure.

(iv) Non-bona fide jewellery or valuables or such articles, not declared or not complying with the prescribed conditions, shall attract duty as per the Baggage Rules, 2026 and shall be dealt with strictly under the Customs Act, 1962.

(c) Special allowance for jewellery: Eligible residents and tourists of Indian origin residing abroad for more than one year shall be allowed a special duty-free jewellery allowance as prescribed under the Baggage Rules, 2026. Jewellery within the prescribed allowance shall be cleared duty free, while jewellery in excess of such allowance shall be assessed to applicable customs duty.

(v) सामान के रूप में व्यावसायिक मात्रा में वस्तुएँ / Goods in Commercial Quantity as Baggage

(a) जो यात्री व्यावसायिक मात्रा में वस्तुएँ या निषिद्ध वस्तुएँ लेकर आते हैं, उन्हें ऐसी वस्तुओं को वास्तविक सामान (bona fide baggage) के रूप में क्लियरेंस का अधिकार नहीं होगा। ऐसी वस्तुओं का निपटान सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, जिसमें उपयुक्त मोचन जुर्माना (redemption fine) और दंड (penalty) के साथ निर्णय (adjudication) शामिल हो सकता है, तथा आवश्यक होने पर अभियोजन (prosecution) भी विचाराधीन हो सकता है।

(b) यदि कोई यात्री वास्तविक सामान में ऐसी वस्तुओं की सीमित अतिरिक्त मात्रा लेकर आता है जो सामान्य कार्गो के रूप में स्वतंत्र रूप से आयात योग्य हैं, तो केवल इस कारण कि वे सामान के रूप में लाई गई हैं, उन्हें निषिद्ध नहीं माना जाएगा। हालाँकि, व्यावसायिक मात्रा में आयातित उपभोक्ता वस्तुएँ वास्तविक सामान के रूप में क्लियरेंस के लिए पात्र नहीं होंगी। सुविधा के उपाय के रूप में, जहाँ कोई यात्री अन्यथा वास्तविक सामान के साथ सीमित अतिरिक्त मात्रा लेकर आता है, ऐसी अतिरिक्त मात्रा को लागू सीमा शुल्क के भुगतान पर क्लियरेंस की अनुमति दी जा सकती है। कुछ व्यावसायिक वस्तुओं की उपस्थिति से पूरे सामान को गैर-वास्तविक नहीं माना जाएगा और शेष वास्तविक सामान को अनुमेष रियायतें दी जा सकती हैं। ऐसे मामलों में शेष वास्तविक सामान को बैगेज नियम, 2026 के अनुसार लागू रियायतें और शुल्क-मुक्त भत्ते प्रदान किए जाएंगे।

(a) Passengers carrying goods in commercial quantity or prohibited goods shall not be entitled to clearance of such goods as bona fide baggage. Such goods shall be dealt with in accordance with the provisions of the Customs Act, 1962, including adjudication with imposition of appropriate redemption fine and penalty and, where warranted, prosecution may also be considered.

(b) If a passenger is carrying a marginal excess of goods which are freely importable as normal cargo in the bona fide baggage, it shall not be treated as prohibited merely because they are brought as baggage, consumer goods imported in commercial quantity are not eligible for clearance as bona fide baggage. As a facilitation measure, where a passenger carries a marginal excess of otherwise bona fide baggage, such excess may be allowed clearance on payment of applicable customs duty. The presence of some commercial goods does not render the entire baggage non-bona fide, and the remaining bona fide baggage may be extended admissible concessions. In such cases, the remaining bona fide baggage shall be eligible for admissible concessions, and duty-free allowances, as applicable under the Baggage Rules, shall be extended to the passenger.

(vi) रिहाई या पुनः निर्यात के लिए अस्थायी निरुद्ध / Temporary detention for release or re-export

यदि कोई यात्री शुल्क योग्य, प्रतिबंधित या निषिद्ध वस्तुओं को बाद में रिहाई, पुनः निर्यात या अन्य उद्देश्य से रोककर रखने का अनुरोध करता है, तो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद सक्षम अधिकारी उन वस्तुओं को निरुद्ध कर सकते हैं और डिटेंशन रसीद जारी कर सकते हैं। इस रसीद में यात्री का पूरा विवरण, निरुद्ध वस्तुओं का विवरण तथा निरुद्ध करने वाले अधिकारी का विवरण होगा। निरुद्ध करने, मूल्यांकन और पुनः निर्यात की प्रक्रिया यात्री को स्पष्ट रूप से समझाई जाएगी और निर्धारित शर्तों के पालन तथा सत्यापन के बाद प्रस्थान के समय वस्तुओं को पुनः निर्यात या अन्यथा वापस किया जा सकता है। जहाँ यात्री शुल्क का भुगतान करने में सक्षम नहीं होता या वस्तुएँ निषिद्ध या प्रतिबंधित होती हैं, वहाँ निरुद्ध करने की प्रक्रिया सावधानीपूर्वक अपनाई जानी चाहिए। पर्यटकों को उनके वास्तविक उपयोग के लिए व्यक्तिगत वस्तुओं के अस्थायी आयात की अनुमति देने हेतु अस्थायी बैगेज आयात प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है, बशर्ते कि भारत से प्रथम प्रस्थान या छह माह के भीतर (जो पहले हो) उनका पुनः निर्यात किया जाए। डिटेंशन रसीद उन मामलों में जारी की जाती है जहाँ वस्तुएँ प्रतिबंधित या निषिद्ध हों या यात्री शुल्क का

भुगतान न कर सके। ऐसी स्थिति में अधिकारी वस्तुओं को निरुद्ध कर रसीद जारी कर सकते हैं और प्रस्थान के समय वस्तुएँ यात्री को वापस दी जा सकती हैं। अस्थायी बैगेज आयात प्रमाणपत्र और डिटेंशन रसीद दोनों सुविधात्मक उपाय हैं और इन्हें राजस्व की सुरक्षा तथा नियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए उचित रूप से लागू किया जाना चाहिए।

Where a passenger requests detention of dutiable or restricted or prohibited articles, after completing the due procedures of Customs Act 1962, if any, for the purpose of subsequently release or re-export or otherwise, the proper officer may detain such articles and issue a detention receipt containing complete particulars of the passenger, the detained articles and the details of the detaining officer. The process of detention, appraisal and re-export shall be clearly explained to the passenger, and the detained articles shall be subsequently released or returned at the time of departure for re-export or otherwise, subject to verification and compliance with prescribed conditions. The procedure of article detention should be carefully followed when passenger is not able to pay duty or goods are prohibited or restricted in nature. A temporary baggage import certificate may be issued to tourists to allow temporary import of personal effects for bona fide use, subject to re-export at the time of first departure from India or within six months, whichever is earlier. A Detention receipt is issued in those cases where goods are restricted, or prohibited, or where the passenger cannot pay duty; in cases, the proper officer may detain the articles and issue a detention receipt, with the articles subsequently released or returned to the passenger on departure. Both the temporary baggage import certificate and detention receipts are facilitative measures and shall be applied appropriately to ensure passenger convenience while safeguarding revenue and ensuring regulatory compliance.

(vii) असंगत सामान / Unaccompanied Baggage

(a) साथ लाए गए सामान पर लागू सभी प्रावधान असंगत सामान पर भी समान रूप से लागू होंगे, सामान्य शुल्क-मुक्त भत्ते को छोड़कर। क्लियरेंस से पहले असंगत सामान की वास्तविकता स्थापित की जानी चाहिए। सभी आवश्यक सीमा शुल्क प्रक्रियाएँ सक्षम अधिकारी द्वारा उचित पर्यवेक्षण तंत्र के अंतर्गत समयबद्ध तरीके से पूरी की जानी चाहिए ताकि शीघ्र क्लियरेंस सुनिश्चित हो सके। असंगत सामान सुविधा के दुरुपयोग द्वारा आयात नियमों से बचने के किसी भी प्रयास से सख्ती से निपटा जाएगा और गैर-वास्तविक मामलों का निपटान विधि के अनुसार किया जाएगा। असंगत सामान की घोषणा यात्री की अनुपस्थिति में उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा की जा सकती है। Annexure-II में सूचीबद्ध वस्तुओं को ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस के अंतर्गत लाने की अनुमति है। निर्धारित शर्तों और यात्रियों की श्रेणी के अनुसार मूल्य सीमा के अधीन प्रत्येक वस्तु की एक इकाई की अनुमति होगी।

(b) जोखिम-आधारित मूल्यांकन के आधार पर चयनित असंगत सामान की जाँच चयनात्मक मानदंडों (selectivity criteria) के आधार पर की जाएगी।

(c) साथ लाए गए सामान की घोषणा CBD-I में "अतिथि" वेब/मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से तथा असंगत सामान की घोषणा CBD-II में ICEGATE पर की जाती है। इन दोनों को दुरुपयोग रोकने और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम महानिदेशालय द्वारा एकीकृत और परस्पर संबद्ध किया जाएगा।

(d) यदि कोई यात्री अपने असंगत सामान का क्लियरेंस आगमन वाले स्टेशन के अतिरिक्त किसी अन्य सीमा शुल्क स्टेशन पर चाहता है, तो ऐसे सामान को ट्रांजिट या ट्रांसशिपमेंट की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि सामान का ट्रांसशिपमेंट विधिवत प्रकट (manifest) किया गया हो। आगमन स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक सामान के परिवहन की व्यवस्था यात्री या उसके अधिकृत एजेंट द्वारा की जाएगी। सामान को आगमन स्टेशन पर यात्री या

उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में सील किया जाएगा। परिवहन केवल अधिकृत वाहक द्वारा, उपयुक्त बांड निष्पादन और सुरक्षा प्रदान करने के बाद, संबंधित प्रधान आयुक्त या आयुक्त सीमा शुल्क की संतुष्टि के अनुसार अनुमति दी जाएगी।

(a) All provisions applicable to accompanied baggage apply equally to unaccompanied baggage, except the general free allowance. The bona fide nature of unaccompanied baggage must be established prior to clearance. All the required customs procedures shall be completed carefully in a time bound manner, by the proper officer under a proper supervisory mechanism, to ensure expeditious clearance. Any misuse of the unaccompanied baggage facility to circumvent import regulations shall be dealt with strictly, and non-bona fide cases shall be adjudicated in accordance with law. The declaration for the Unaccompanied baggage may be filed by any person, so authorised by the passenger for clearance, in his absence. The articles included at Annexure-II are allowed to be brought in under transfer of residence. One article each is permissible, subject to value limits as per the conditions and class of travellers.

(b) The examination of unaccompanied baggage selected on the basis of risk-based evaluation through selectivity criteria.

(c) The declaration made for accompanied baggage in CBD-I through the web application or mobile application namely, Atithi and declaration made for unaccompanied baggage in CBD-II on ICEGATE shall be properly integrated and interlinked by the Directorate General of Systems to prevent misuse of baggage allowances and ensure effective monitoring and compliance.

(d) Where a passenger requests clearance of unaccompanied baggage at a customs station other than the station of arrival, such baggage may be allowed for transit or transshipment to the requested customs station, provided the baggage is duly manifested for transshipment. The arrangements for transportation of the baggage from the customs station of arrival to the destination customs station shall be made by the passenger or his authorised agent. The unaccompanied baggage shall be sealed at the customs station of arrival in the presence of the passenger or his authorised representative. Transportation of the baggage shall be allowed only through an authorised carrier, upon execution of bond and furnishing of security to the satisfaction of the Principal Commissioner or Commissioner of Customs at the customs station of arrival.

(viii) यात्रियों की विशेष श्रेणियाँ / Special Categories of Passengers

कू सदस्यों को केवल वही सीमित रियायतें प्राप्त होंगी जो बैगेज नियम, 2026 में स्पष्ट रूप से प्रदान की गई हैं, और अन्य उद्देश्यों के लिए उन्हें सामान्य यात्री नहीं माना जाएगा। कू सदस्यों द्वारा इस पात्रता से अधिक वस्तुओं का आयात अनधिकृत माना जाएगा और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत जब्ती योग्य होगा। विदेश में नियुक्ति पूर्ण करने या समयपूर्व समाप्ति के बाद भारत लौटने वाले राजनयिक अधिकारियों और सरकारी अधिकारियों के सामान का क्लियरेंस बैगेज नियम, 2026 के अनुसार होगा। सामान के रूप में आग्नेयास्त्र और मोटर वाहन के आयात से संबंधित नीति DGFT द्वारा जारी विदेश व्यापार नीति (Foreign Trade Policy) तथा ITC (HS) के प्रावधानों के अनुसार ही लागू होगी। बैगेज नियम, 2026 आग्नेयास्त्र या मोटर वाहन के आयात के लिए कोई स्वतंत्र अधिकार प्रदान नहीं करते।

Crew members are entitled only to the limited concessions expressly provided under the Baggage Rules, 2026, and are not to be treated as passengers for other purposes. Import of articles beyond such entitlement by crew members is unauthorised and liable to confiscation under the Customs Act, 1962. Clearance of baggage of diplomatic officers and Government officials returning to India on completion or premature termination of foreign assignments shall be governed by the Baggage Rules, 2026. The import policy relating to firearms and motor vehicles as baggage shall continue to be governed by the relevant provisions of the ITC (HS) and the Foreign Trade Policy issued by DGFT, as amended from time to time. The Baggage Rules, 2026 do not confer any independent entitlement for the import of firearms or motor vehicles as baggage.

(ix) गलत तरीके से संभाला गया सामान / Mishandled Baggage

गलत तरीके से संभाले गए सामान का क्लियरेंस, एयरलाइन के अनुरोध पर, यात्री के आगमन के बंदरगाह या हवाई अड्डे के अतिरिक्त अन्य सीमा शुल्क स्टेशन पर भी किया जा सकता है, बशर्ते सामान की वास्तविकता का सत्यापन और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएँ।

Mishandled baggage may be cleared at customs stations other than the port or airport of arrival of the passenger at the request of the airline, subject to verification of the bona fide nature of the baggage and production of necessary documents.

(x) स्थल सीमाओं पर व्यवहार / Treatment at land borders

स्थल मार्ग से भारत आने वाले यात्रियों को केवल दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के लिए उपयोग किए गए व्यक्तिगत सामान को ही शुल्क-मुक्त क्लियरेंस दिया जाएगा। वायु या समुद्री मार्ग से आने वाले यात्रियों के लिए लागू सामान्य शुल्क-मुक्त भत्ता स्थल सीमा से आने वाले यात्रियों पर लागू नहीं होगा, चाहे यात्री किसी भी श्रेणी का हो।

Passengers arriving in India by land shall be allowed duty-free clearance only of used personal effects required for daily necessities of life. The general duty-free allowance applicable to passengers arriving by air or sea shall not apply to land border arrivals, irrespective of the category of passenger.

(xi) सोना और चाँदी का आयात / Import of Gold and Silver

पात्र यात्रियों को 24 अक्टूबर 2025 की अधिसूचना संख्या 45/2025-Customs में निर्धारित सभी शर्तों का कड़ाई से पालन करने के अधीन सोना और चाँदी का आयात करने की अनुमति दी जा सकती है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।

The eligible passengers may be allowed to import gold and silver, subject to strict compliance with all conditions prescribed under Notification No. 45/2025-Customs dated 24th October, 2025, as amended time to time.

(xii) सत्यापन / Verification

घोषणाओं का सत्यापन जोखिम-आधारित मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा। ऐसे मामलों में वास्तविक सामान की सामान्य या अंधाधुंध जाँच से बचा जाना चाहिए। पर्यवेक्षण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इन सिद्धांतों का समान रूप से अनुप्रयोग हो और वास्तविक यात्रियों को अनावश्यक असुविधा न हो। जोखिम प्रोफाइलिंग या विशिष्ट खुफिया सूचना के आधार पर सीमा शुल्क अधिकारी यात्रियों को जाँच के लिए रेड चैनल में उपस्थित होने के लिए कह सकते हैं।

Verification of declarations shall be undertaken on the basis of risk-based evaluation. In such cases, routine or indiscriminate examination of bona fide baggage shall be avoided. Supervisory officers shall ensure uniform application of these principles and that genuine passengers are not subjected to avoidable inconvenience. Based on risk profiling or specific intelligence, Customs may identify passengers for examination and request them to report to the Red Channel, in accordance with the prescribed procedures.

3. इस लोक सूचना के क्रियान्वयन में यदि कोई कठिनाई हो, तो उसे सहायक/उप आयुक्त (एयरपोर्ट) के संज्ञान में आधिकारिक ईमेल acair.mglr-customs@gov.in के माध्यम से लाया जा सकता है।

Difficulties, if any, in implementation of this Public Notice may be brought to the notice of the Assistant/ Deputy Commissioner (Airport) through official email acair.mglr-customs@gov.in.

(पी. विनीता सेखर / P. VINITHA SEKHAR)
सीमा शुल्क आयुक्त / Commissioner of Customs
मंगलुरु / Mangaluru

Copy to:

1. Office of the Chief Commissioner of Customs, Bengaluru Zone, Bengaluru, for information.
2. EDI Section for uploading on the Website.
3. CHA Association, Mangaluru
4. Notice Board, NCH, Mangaluru.